UPAU010005852024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, औरैया।

पीठासीन अधिकारीः कैलाश कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code UP 1684

ST No. 137/2024

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

(अभियोजन–श्री अरविन्द राजपूत)

प्रति

01– बबलू पुत्र इलियास, उम्र 30 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी लोहिया नगर, थाना बिधूना, जनपद औरैया।

02– हरिओम पुत्र शंकर, उम्र 32 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी किशोरगंज, थाना बिधूना, जनपद औरैया।

..................................**अभियुक्त**

(अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता– श्री अंकित शर्मा एडवोकेट)

सत्र परीक्षण संख्या–137/2024

मुकदमा अपराध संख्या–488/2016

धारा–452, 354 ए, 307, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

थाना–बिधूना, जनपद–औरैया।

निर्णय

1. थाना बिधूना, जिला औरैया की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–488/2016 में धारा–452, 354 ए, 307, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया। जो अवर न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द उपरांत विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

2. संक्षेप में **अभियोजन कथानक** इस प्रकार है कि– वादी मुकदमा राघवेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 19.09.2016 को थाना बिधूना, जिला औरैया पर तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि–प्रार्थी राघवेन्द्र सिह उर्फ मुन्ना पुत्र

Digitally signed by KAILASH KUMAR
Date: 2026.08.07 14:36:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

राजबहादुर सिह निवासी सब्जी मण्डी वाली गली (डो०टी मैरिज गार्डन) कस्बा बिधूना कोतवाली बिधूना जनपद औरैया का रहने वाला है। मेरी पुत्री रोशनी बिधूना मे रह कर बच्चो को पढाती है। बबलू पुत्र इलियास, निवासी लोहिया नगर डी०एस० स्कूल के पास कस्बा बिधूना जनपद औरैया अकसर मेरी पुत्री के साथ छेडछाड करता है। दि० 19/09/2016 को सांयकाल के लगभग चार बजे बबलू पुत्र इलियास, हरिओम पुत्र शंकर निवासी किशोरगंज कस्बा बिधूना मेरे घर पर चढ आये तथा मेरी पुत्री को पकड लिया तथा छेडछाड करने लगे। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे तथा मेरी पुत्री पर प्राणघातक हमला कर दिया। शोरगुल सुन कर मेरे परिवार के लोग आ गये तथा बबलू पुत्र इलियास को पकडकर थाने ले आये। दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया। अतः आपसे निवेदन हे कि उपरोक्त लोगो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

3. वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना बिधूना, जिला औरैया पर मुकदमा अपराध संख्या– 488/2016, अंतर्गत धारा– 452, 354ए, 307, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** के विरूद्ध पंजीकृत हुआ और विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2017 को अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** के विरूद्ध धारा 452, 354ए, 307, 506 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया।

4. मामले में प्रेषित आरोप पत्र **धारा 452, 354ए, 307, 506** भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा दिनांक 30.05.2017 को मामले का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** को तलब करने के उपरान्त धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन कर दिनांक 24.01.2024 को मामले को विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया।

5. मामला सत्र सुपुर्द होने के उपरान्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी–प्रथम, औरैया द्वारा दिनांक 16.02.2024 को मु०अ०सं० 488/2016 में अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** के विरूद्ध धारा–**452, 354ए, 307, 506** भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू–1 राघवेन्द्र सिंह, पी०डब्लू 2 रोशनी, पी०डब्लू०–3 अरूणा देवी, पी०डब्लू–4 एचसी 377 शिव सिंह को प्रस्तुत किया गया है।

7.अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में–

क्रम संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्षी संख्या**	**साबित किये गये प्रपत्र**
01	राघवेन्द्र सिंह वादी मुकदमा	पी०डब्लू०–01	थाने में दी गयी तहरीर को प्रदर्श क–1,
02	रोशनी	पी०डब्लू०–02	बयान पीडिता 161 Crpc प्रदर्श क 2 बयान पीडिता 164 Crpc प्रदर्श क 3
03	अरूणा देवी	पी०डब्लू०–03	
04	एचसी 377 शिव सिंह	पी०डब्लू०–04	जीडी प्रदर्श क 4 प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क 5

8. बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार कर निम्नलिखित प्रदर्श डाले गये हैं–
मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क 6, नक्शा नजरी प्रदर्श क 7, अंतिम रिपोर्ट प्रदर्श क 8

9. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने पर **अभियुक्तगण बबलू एवं हरिओम** के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 16.07.2026 को अंकित किये गये।

10. अभियुक्तगण बबलू एवं हरिओम का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्रं०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा उसके विरूद्ध गलत मुकदमा पंजीकृत कराना बताया एवं समस्त गवाहान के बयानों के उत्तर में कुछ नहीं कहना है अंकित किया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

11.अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में कोई सफाई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12.मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

13.अभियोजन द्वारा अपने कथन को साबित करने के लिए वादी मुकदमा **पी०डब्लू०–1 राघवेन्द्र सिंह** को प्रस्तुत किया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी पुत्री रोशनी बिधूना में रहकर बच्चों को पढाती है। बबलू पुत्र इलियास निवासी लोहिया नगर कस्बा व थाना बिधूना, जिला

औरैया अक्सर मेरी पुत्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करता था और ना ही दिनांक 19.9.16 को शाम 4:00 बजे लगभग बबलू पुत्र इलियास व हरिओम पुत्र शंकर मेरे घर पर आए और ना मेरी पुत्री को पकड़ कर छेड़छाड़ की थी और ना जान से मारने की धमकी दिया और ना प्राण घातक हमला किया। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 4 क/5 दिखाया गया व पढ़ाया गया तो उसने उस पर बने अपने हस्ताक्षर व फोटो की पहचान व पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श क 1** डाला गया। पुलिस को मैंने बयान नहीं दिया था। एडीजीसी के प्रार्थना पर इस गवाह को पक्ष द्रोही घोषित किया गया।

14.इस पी०डब्लू०–1 राघवेन्द्र सिंह वादी मुकदमा ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि " मैं कुछ पढ़ा लिखा हूं। हस्ताक्षर बना लेता हूं। मैंने मुल्जिमान के खिलाफ कुछ लोगों के कहने पर झूठी रिपोर्ट लिखा दिया था। घटना के बाद मैं व मेरी पुत्री रोशनी घायल अवस्था में थाना बिधूना गए थे। थाना बिधूना में मैंने कागज संख्या 4क/9 पुलिस को दिया था। इसी पत्र पर मेरी मुल्जिमान बबलू व हरिओम के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी गई थी। पुलिस मेरी व मेरी पुत्री रोशनी की डॉक्टरी सी.एच.सी. ऐरवाकटरा में कराई थी। मेरे शरीर पर डॉक्टर साहब ने सात चोटे बताई थी पर चोट मुल्जिमान के द्वारा धक्का देने से आई थी। फिर कहां गिरने के कारण आई हैं। मेरे रिपोर्ट लिखाने के बाद मुल्जिमान जेल गए हैं। पुलिस ने मेरी पुत्री रोशनी का बयान लिखा था। पुलिस ने पुत्री रोशनी का मजिस्ट्रेट साहब के यहां बयान कराया था। यह कहना गलत है कि मुझे व मेरी पुत्री को मुल्जिमान बबलू व हरिओम ने मारपीट कर चोटे पहुंचाई हो, लेकिन मुल्जिमान से समझौता कर लेने के कारण गिरने से चोटे आने के बाद झूठ कह रहा हूं। पुलिस ने जब यह बयान "मेरी पुत्री रोशनी बिधूना में रहकर बच्चों को पढाती है। दिनांक 19.6.16 को बबलू व हरिओम मेरे घर पर घुस आए और मेरी पुत्री रोशनी को पकड़ लिया व छेड़छाड़ करने लगे तथा विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। मेरी पुत्री पर प्राण घातक हमला किया। बबलू को मौके पर पड़कर थाने ले गये तथा दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया" लिखा है तो मैं वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से मिल जाने के कारण उक्त बयान पुलिस को न देने की बात आज न्यायालय में झूठ बता रहा हूं। मुझे यह जानकारी है कि न्यायालय में झूठा बयान देना अपराध है। झूठा बयान देने पर सजा हो सकती है। यह कहना गलत है कि मैंने जो आज बयान दिया वह झूठा दिया है। जब मुल्जिमान से वाद विवाद हो रहा था तब काफी भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ में मुझे किसी ने मारा पीटा और मैं देख नहीं पाया था। यह कहना सही है कि मैं हरिओम के दूसरे मकान में किराए पर रहता हूं। किराए के लेनदेन के पीछे वाद विवाद हुआ था। ना तो मुल्जिमान ने मेरी व मेरी पुत्री को मारपीट किया और ना छेड़छाड़ किया और ना ही मेरी पुत्री पर प्राण घातक हमला किया। यह कहना सही है कि मैंने

मोहल्ले के कुछ लोगों के कहने पर एफआईआर लिखा दिया था। मैंने मारपीट करने वालों को नहीं देख पाया था। पुलिस ने नक्शा मेरी मौजूदगी में नहीं बनाया। दरोगा जी ने घटना के संबंध में मेरा बयान नहीं लिया और ना मुझसे पूछताछ की। यदि मेरा बयान लिख दिया तो मैं वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि आज मैं न्यायालय में बिना किसी दबाव व लालच के बयान दे रहा हूं। तहरीर प्रदर्श क 1 को मैंने थाने के बाहर एक व्यक्ति से लिखवा कर थाने में दी थी जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मेरे बोलने पर यह तहरीर लिखी गई थी। मेरे व अभियुक्तगण के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। गांव वालों ने कहा अब छोड़ो जो हो गया वह हो गया।

15.अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 रोशनी ने अपनी मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया है कि " बबलू पुत्र इलियास निवासी लोहियानगर कस्बा बिधूना का रहने वाला है। वह अक्सर मुझे छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें नहीं करता था और ना ही उसने दिनांक 19.9.16 के शाम 4:00 बजे हरिओम पुत्र शंकर के साथ मेरे घर में घुसकर मेरी बुरी नीयत से छेड़छाड़ की थी, ना विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और ना जान से मारने की नीयत से मेरा गला दबाया था। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। पत्रावली पर कागज संख्या 8 क दिखाया गया व पढ़ाया गया, तो गवाह ने उसपर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि किया जिस पर **प्रदर्श क 2** डाला गया। पुलिस ने मेरी डॉक्टरी कराई थी। पुलिस ने मेरे बयान का वीडियो बनाया था। पुलिस ने मेरा बयान विवेचक से समक्ष कराया था। 164 सीआरपीसी के बयान का सील बंडल लिफाफा न्यायालय की अनुमति से खोला गया, के लिफाफे के अंदर पीड़िता का 164 सीआरपीसी का बयान निकला, जिसे गवाह को दिखाया व पढ़ाया गया तो उसने उसपर बने हस्ताक्षर व फोटो की पहचान व पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क 3** डाला गया एडीजीसी के प्रार्थना पर गवाह पक्ष द्रोही घोषित किया गया।

16.पी०डब्लू०–2 रोशनी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूं। लिखना पढ़ना जानती हूं। मुझे यह जानकारी है कि न्यायालय में झूठा बयान देना अपराध है। झूठा बयान देने से सजा हो सकती है। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने लिखी थी। रिपोर्ट मुल्जिम बबलू व हरिओम के विरुद्ध लिखी थी। बबलू को मैं इस घटना के पहले से नहीं जानती हूं। मेरा महिला पुलिस ने बयान लिया था। महिला पुलिस ने जो बयान लिखा है उसमें यह "बबलू पुत्र इलियास निवासी लोहिया नगर डी.एस. स्कूल के पास थाना व कस्बा बिधूना जिला औरैया अक्सर मुझे छेड़छाड़ व अश्लील हरकत कर परेशान करता रहता था। दिनांक 19.9.16 को शाम करीब 4:00 बजे बबलू पुत्र इलियास व हरिओम पुत्र शंकर मेरे घर में घुस आए तथा मुझे बुरी नीयत से पकड़ लिया व छेड़छाड़ करने लगे तथा जान से मारने की नीयत से जोर से गला

दबा दिया। शोरगुल सुनकर मेरे परिवार के मेरे पिता राघवेन्द्र व प्यारे व पूरन सिंह आ गए तथा बबलू पुत्र इलियास को पकड़कर थाने ले आए। दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया," लिखा है। इस बयान के नीचे बने हस्ताक्षर मेरे हैं। पुलिस ने मेरा महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया था। जिस समय महिला मजिस्ट्रेट ने मेरा बयान लिखा था उस समय महिला मजिस्ट्रेट व मेरे अलावा अन्य कोई नहीं था। महिला मजिस्ट्रेट द्वारा मेरा यह बयान "मैं कक्षा 12 तक पढ़ी लिखी हूं। बबलू मुझे छेड़ता था। दिनांक 19.9.16 को समय 4:00 बजे शाम को बबलू व हरिओम मेरे घर में घुस आए। बबलू ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ छेड़छाड़ की। बबलू व हरिओम ने मेरा गला दबाकर जान से मारने की धमकी दिया," लिखा है। इसके नीचे मेरे हस्ताक्षर बने हैं। घटना के बाद मैं थाने गई थी । थाने पुलिस द्वारा मेरा डॉक्टरी मुआयना कराया गया था। डॉक्टरी मुआयने में मेरे शरीर पर दो चोटे पाई गई। अभियुक्त बबलू जो भाग गया था उसकी भी पुलिस ने डॉक्टरी कराई थी। उसमें डॉक्टरी मुआयने पर डॉक्टर ने कितनी चोटे लिखी है नहीं बता सकती। डॉक्टर साहब द्वारा उसके शरीर पर सात चोटे लिखी है तो मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस ने मेरे बयान का वीडियो भी बनाया था। मेरे डॉक्टरी में अंकित चोटे अभियुक्त द्वारा नहीं पहुंचाई गई है। इस मुकदमे में मुल्जिम जेल गए हैं। मुल्जिम के निर्दोष होने के संबंध में आज मैंने न्यायालय में पहली बार बयान दिया है। निर्दोष होने के संबंध में किसी मुल्जिम का पक्ष नहीं लिया। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने थाना बिधूना में लिखी थी। गवाही के लिए समन नहीं मिला था। मुझे तारीख की जानकारी मेरे पापा ने दिया था। मैंने कुछ लोगों के कहने पर महिला पुलिस को व मजिस्ट्रेट को बयान दिया था। दोनों बयानों में मैंने मुल्जिमान का नाम कुछ लोगों के कहने पर लिखा दिया है। मैं व मेरे पापा हाजिर अदालत अभियुक्त हरिओम के मकान में किराए पर रहते हैं। घटना का मुख्य कारण मेरे पिता द्वारा हरिओम को किराया न देने के कारण घर पर विवाद हुआ था। इस विवाद में अभियुक्त बबलू ने हरिओम का पक्ष किया था। इसी वजह से मेरे पिता ने यह मुकदमा लिखा दिया था। आज मैं बिना किसी दबाव के यह बयान दे रही हूं।

17.अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–3 अरूणा देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मेरी पुत्री बिधूना में रह कर बचो को पढाती है। बबलू पुत्र इलियास, निवासी लोहियानगर व हरिओम पुत्र शंकर, निवासी किशोरगंज बिधूना औरैया मेरी पुत्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे दिनांक 19.9.16 को शाम 4:00 बजे बबलू व हरिओम ने मेरी पुत्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, न ही मेरे घर पर चढ़कर आए थे, न ही अभियुक्तगण द्वारा मेरी पुत्री की गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की थी, न ही अभियुक्तगण ने मेरी पुत्री को जान से मारने की धमकी दी थी।

18.पी०डब्लू०–3 अरूणा देवी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि" साक्षी को उसका बयान 161 सीआरपीसी पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने कहा मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया है। यह बयान कैसे लिख गया मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। रिपोर्ट मेरे पति द्वारा लोगों के कहने पर गलतफहमी में लिखी गई थी। अभियुक्त बबलू व हरिओम ने मेरी पुत्री की छेड़खानी का, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। यह कहना गलत है कि मैंने दरोगा जी को घटना के संबंध में सही बयान दिया हो, परंतु आज न्यायालय में अभियुक्तगण से मिल जाने के कारण झूठा बयान दे रही हूं। यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री की छेड़खानी के समय उसके शोर जाने पर मैं भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और घटना मैंने देखी हो। यह कहना गलत है कि मैं आज अभियुक्तगण से मिल जाने व उन्हें सजा से बचाने के लिए न्यायालय में झूठा बयान दे रही हूं। यह कहना सही है कि मैं आज जो बयान दे रही हूं अपनी मर्जी से दे रही हूं किसी के दबाव में नहीं दे रही हूं।

19.साक्षी **पी०डब्लू० 4 एच०सी० 377 शिव सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है** कि दिनांक–19.09.2016 को थाना बिधूना पर बतौर कां. मोहर्रिर के पद पर तैनात था उसी दिनांक को वादी मुकदमा राघवेन्द्र सिंह मय हमराहा अपने भाई व अभियुक्त बब्लू के साथ हस्तलिखित तहरीर लेकर उपस्थित थाना आये थे। थाना प्रभारी के मौखिक आदेश पर मेरे द्वारा वादी राघवेन्द्र द्वारा दाखिला तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा उपरोक्त अभियोग की कायमी नकल रपट 56 दिनांक 19–09–2016 समय 18.10 बजे मुकदमा अपराध संख्या 488/2016 बनाम बब्लू आदि दो नफर धारा 452,354 ए,307,506 भा.दं.सं. में की गई थी। कायमी जी.डी. संलग्न पत्रावली 6 क/1 मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में कार्बन कापी के रूप में संलग्न है की पहचान व पुष्टि करता हूं पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। इसी क्रम में तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा सी.सी. टी.एन.एस. पर आरक्षी लेखक विष्णु कुमार को मेरे द्वारा बोल बोल कर मुकदमा अपराध संख्या 488/2016 बनाम बब्लू आदि धारा–452, 354 ए, 307,506 भा.दं.सं. टाईप कराई गई थी। प्रथम सूचना रिर्पोट पत्रावली पर कागज संख्या 4 क/1 लगायत 4 क/4 के रूप में संलग्न है जिस पर कोतवाली प्रभारी बिधूना के हस्ताक्षर है जिसकी पहचान व पुष्टि करता पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। घटना की सूचना जरिए आर.टी. सेट उच्चाधिकारियो को दी गई थी। अभियुक्त बब्लू को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सी.एच.सी. ऐरवाकटरा भेजा गया था। प्रथम सूचना रिर्पोट की एक प्रति वादी मुकदमा को दी गई थी। विवेचक ने मेरे ब्यान लिये थे।

20.साक्षी **पी०डब्लू० 4 एच०सी० 377 शिव सिंह ने अपनी प्रति परीक्षा** में कथन किया है कि" समय 18.10 पर दिनांक 19–09–2016 को जी.डी कायम की थी। मुकदमा वादी के साथ वादी का भाई और अभियुक्त बब्लू चोटिल हालत में थाने आये थे। जी. डी. कायमी के तुरन्त बाद एफ. आई. आर. पंजीकृत की थी । दरोगा जी ने मेरे ब्यान कब लिये थे मुझे मालूम नहीं है। अभियुक्त बब्लू के लगभग 2–4 बाहरी चोटें लालिमा खुरसट की चोटे थी। कहीं से भी खून नहीं निकल रहा था। जी.डी पर जो मेरे हस्ताक्षर है वो स्पष्ट नहीं है। यह कहना सही है कि जी.डी कायमी लेखक कां. 121 शिव सिंह यादव द्वारा बोल बोल कर पंजीकृत कराई गई है। मुकदमा वादी जी.डी. कायमी के बाद थाने में करीब 5 मिनट रूका था इसके बाद तुरन्त घर चला गया था । मैने मजरूब बब्लू को जब जी. डी कायमी कायमी की थी उसी समय उसको डाक्टरी मुआयाना वास्ते अस्पताल भेज दिया था। जी.डी. कायमी के समय ही एफ. आई.आर. 488/2016 पंजीकृत की गई थी। मैने का. विष्णु कुमार को कायमी के समय 18.10 पर ही एफ. आई. आर. पंजीकृत कराई थी । यह कहना सही है कि एफ. आई. आर. पर मेरे द्वारा प्रभारी थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर मेरे द्वारा करवाये गये थे। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा बोल बोल कर एफ.आई.आर. व जी.डी. सी.सी.टी.एन.एस. कर्मी विष्णु कुमार द्वारा अंकित की गई है।

21.उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

22.अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में अनाधिकृत प्रवेश कर पीडिता के साथ उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास करने में उसके साथ मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया गया तथा घर वालों को व पीडिता को जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन की ओर से घटना को साबित करने के लिए पीडब्लू–1 वादी राघवेन्द्र, पीडब्लू–2 पीडिता रोशनी तथा पीडब्लू–3 पीडित की मां अरूणा देवी तथा पीडब्लू–4 शिवसिंह को परीक्षित कराया है तथा यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के द्वारा स्वयं ही अभियोजन के प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है, जिससे बिना देरी के एफ.आई.आर., जी.डी., पीडिता तथा मौके से पकडे गये अभियुक्त बबलू के चिकित्सीय परीक्षण आख्या भी साबित है जिससे मौके पर अभियुक्तगण की उपस्थिति तथा घटना साबित होती है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

23.जबकि बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वादी राघवेन्द्र, पीडिता रोशनी, पीडिता की मां अरूणा देवी, जोकि तथ्य के साक्षी हैं, के द्वारा अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है

तथा स्वयं अभियोजन की ओर से ये तथ्य के साक्षी पक्षद्रोही घोषित किये गये है। पीडब्लू–4 शिवसिंह औपचारिक गवाह है। अतः इन आधारों पर अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य नहीं है।

24. अभियोजन साक्षी पीडब्लू–1 राघवेन्द्र जोकि इस मामले में वादी है, के द्वारा तहरीर प्रदर्श क 1 के आधार पर इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की शुरूआत हुयी। पीडब्लू 1 के द्वारा प्रस्तुत तहरीर कथनानुसार "प्रार्थी राघवेन्द्र सिह उर्फ मुन्ना पुत्र राजबहादुर सिह निवासी सब्जी मण्डी वाली गली (डो०टी मैरिज गार्डन) कस्बा बिधूना कोतवाली बिधूना जनपद औरैया का रहने वाला है। मेरी पुत्री रोशनी बिधूना मे रह कर बच्चो को पढाती है। बबलू पुत्र इलियास, निवासी लोहिया नगर डी०एस० स्कूल के पास कस्बा बिधूना जनपद औरैया अकसर मेरी पत्री के साथ छेडछाड करता है। दि० 19/09/2016 को सांयकाल के लगभग चार बजे बबलू पुत्र इलियास, हरिओम पुत्र शंकर निवासी किशोरगंज कस्बा बिधूना मेरे घर पर चढ आये तथा मेरी पुत्री को पकड लिया तथा छेडछाड करने लगे। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे तथा मेरी पुत्री पर प्राणघातक हमला कर दिया। शोरगुल सुन कर मेरे परिवार के लोग आ गये तथा बबलू पुत्र इलियास को पकडकर थाने ले आये। दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त लोगो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।" पीडब्लू–1 राघवेन्द्र के द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये बयानों में यह स्वीकार किया गया है कि पत्रावली पर संलग्न कागज सं० 4क/5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसकी वह पुष्टि करता है और इसपर प्रदर्श क 1 डाला गया।

25. परंतु इस गवाह **पीडब्लू–1 राघवेन्द्र** ने न्यायालय के समक्ष किये गये बयानों में यह कथन किया है कि मैं कुछ पढ़ा लिखा हूं। हस्ताक्षर बना लेता हूं। मैंने मुल्जिमान के खिलाफ कुछ लोगों के कहने पर झूठी रिपोर्ट लिखा दिया था। घटना के बाद मैं व मेरी पुत्री रोशनी घायल अवस्था में थाना बिधूना गए थे। थाना बिधूना में मैंने कागज संख्या 4क/9 पुलिस को दिया था। इसी पत्र पर मेरी मुल्जिमान बबलू व हरिओम के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी गई थी। पुलिस मेरी व मेरी पुत्री रोशनी की डॉक्टरी सी.एच.सी. ऐरवाकटरा में कराई थी। मेरे शरीर पर डॉक्टर साहब ने सात चोटे बताई थी पर चोट मुल्जिमान के द्वारा धक्का देने से आई थी। फिर कहां गिरने के कारण आई हैं। मेरे रिपोर्ट लिखाने के बाद मुल्जिमान जेल गए हैं। पुलिस ने मेरी पुत्री रोशनी का बयान लिखा था। पुलिस ने पुत्री रोशनी का मजिस्ट्रेट साहब के यहां बयान कराया था। यह कहना गलत है कि मुझे व मेरी पुत्री को मुल्जिमान बबलू व हरिओम ने मारपीट कर चोटे पहुंचाई हो, लेकिन मुल्जिमान से समझौता कर लेने के कारण गिरने से चोटे आने के बाद झूठ कह रहा हूं। पुलिस ने जब यह बयान "मेरी पुत्री रोशनी बिधूना

में रहकर बच्चों को पढाती है। दिनांक 19.6.16 को बबलू व हरिओम मेरे घर पर घुस आए और मेरी पुत्री रोशनी को पकड़ लिया व छेड़छाड़ करने लगे तथा विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। मेरी पुत्री पर प्राण घातक हमला किया। बबलू को मौके पर पड़कर थाने ले गये तथा दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया" लिखा है तो मैं वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से मिल जाने के कारण उक्त बयान पुलिस को न देने की बात आज न्यायालय में झूठ बता रहा हूं। मुझे यह जानकारी है कि न्यायालय में झूठा बयान देना अपराध है। झूठा बयान देने पर सजा हो सकती है। यह कहना गलत है कि मैंने जो आज बयान दिया वह झूठा दिया है। जब मुल्जिमान से वाद विवाद हो रहा था तब काफी भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ में मुझे किसी ने मारा पीटा और मैं देख नहीं पाया था। यह कहना सही है कि मैं हरिओम के दूसरे मकान में किराए पर रहता हूं। किराए के लेनदेन के पीछे वाद विवाद हुआ था। ना तो मुल्जिमान ने मेरी व मेरी पुत्री को मारपीट किया और ना छेड़छाड़ किया और ना ही मेरी पुत्री पर प्राण घातक हमला किया। यह कहना सही है कि मैंने मोहल्ले के कुछ लोगों के कहने पर एफआईआर लिखा दिया था। मैंने मारपीट करने वालों को नहीं देख पाया था। पुलिस ने नक्शा मेरी मौजूदगी में नहीं बनाया। दरोगा जी ने घटना के संबंध में मेरा बयान नहीं लिया और ना मुझसे पूछताछ की। यदि मेरा बयान लिख दिया तो मैं वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि आज मैं न्यायालय में बिना किसी दबाव व लालच के बयान दे रहा हूं। तहरीर प्रदर्श क 1 को मैंने थाने के बाहर एक व्यक्ति से लिखवा कर थाने में दी थी जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मेरे बोलने पर यह तहरीर लिखी गई थी। मेरे व अभियुक्तगण के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। गांव वालों ने कहा अब छोड़ो जो हो गया वह हो गया।

26. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत **पीडब्लू–2 पीडिता रोशनी** के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूं। लिखना पढ़ना जानती हूं। मुझे यह जानकारी है कि न्यायालय में झूठा बयान देना अपराध है। झूठा बयान देने से सजा हो सकती है। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने लिखी थी। रिपोर्ट मुल्जिम बबलू व हरिओम के विरुद्ध लिखी थी। बबलू को मैं इस घटना के पहले से नहीं जानती हूं। **मेरा महिला पुलिस ने बयान लिया था। महिला पुलिस ने जो बयान लिखा है उसमें यह "बबलू पुत्र इलियास निवासी लोहिया नगर डी.एस. स्कूल के पास थाना व कस्बा बिधूना जिला औरैया अक्सर मुझे छेड़छाड़ व अश्लील हरकत कर परेशान करता रहता था। दिनांक 19.9.16 को शाम करीब 4:00 बजे बबलू पुत्र इलियास व हरिओम पुत्र शंकर मेरे घर में घुस आए तथा मुझे बुरी नीयत से पकड़ लिया व छेड़छाड़ करने लगे तथा जान से मारने की नीयत से जोर से गला दबा दिया। शोरगुल सुनकर मेरे परिवार के मेरे पिता राघवेन्द्र व प्यारे व पूरन सिंह आ गए तथा बबलू पुत्र**

इलियास को पकड़कर थाने ले आए। दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया," लिखा है। इस बयान के नीचे बने हस्ताक्षर मेरे हैं। पुलिस ने मेरा महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया था। जिस समय महिला मजिस्ट्रेट ने मेरा बयान लिखा था उस समय महिला मजिस्ट्रेट व मेरे अलावा अन्य कोई नहीं था। महिला मजिस्ट्रेट द्वारा मेरा यह बयान "मैं कक्षा 12 तक पढ़ी लिखी हूं। बबलू मुझे छेड़ता था। दिनांक 19.9.16 को समय 4:00 बजे शाम को बबलू व हरिओम मेरे घर में घुस आए। बबलू ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ छेड़छाड़ की। बबलू व हरिओम ने मेरा गला दबाकर जान से मारने की धमकी दिया," लिखा है। इसके नीचे मेरे हस्ताक्षर बने हैं। घटना के बाद मैं थाने गई थी । थाने पुलिस द्वारा मेरा डॉक्टरी मुआयना कराया गया था। डॉक्टरी मुआयने में मेरे शरीर पर दो चोटे पाई गई। अभियुक्त बबलू जो भाग गया था उसकी भी पुलिस ने डॉक्टरी कराई थी। उसमें डॉक्टरी मुआयने पर डॉक्टर ने कितनी चोटे लिखी है नहीं बता सकती। डॉक्टर साहब द्वारा उसके शरीर पर सात चोटे लिखी है तो मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस ने मेरे बयान का वीडियो भी बनाया था। मेरे डॉक्टरी में अंकित चोटे अभियुक्त द्वारा नहीं पहुंचाई गई है।इस मुकदमे में मुल्जिम जेल गए हैं। मुल्जिम के निर्दोष होने के संबंध में आज मैंने न्यायालय में पहली बार बयान दिया है। निर्दोष होने के संबंध में किसी मुल्जिम का पक्ष नहीं लिया। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने थाना बिधूना में लिखी थी। गवाही के लिए समन नहीं मिला था। मुझे तारीख की जानकारी मेरे पापा ने दिया था। मैंने कुछ लोगों के कहने पर महिला पुलिस को व मजिस्ट्रेट को बयान दिया था। दोनों बयानों में मैंने मुल्जिमान का नाम कुछ लोगों के कहने पर लिखा दिया है। मैं व मेरे पापा हाजिर अदालत अभियुक्त हरिओम के मकान में किराए पर रहते हैं। घटना का मुख्य कारण मेरे पिता द्वारा हरिओम को किराया न देने के कारण घर पर विवाद हुआ था। इस विवाद में अभियुक्त बबलू ने हरिओम का पक्ष किया था। इसी वजह से मेरे पिता ने यह मुकदमा लिखा दिया था। आज मैं बिना किसी दबाव के यह बयान दे रही हूं।

27.इसी प्रकार से **पीडब्लू–3 अरूणा देवी जोकि** पीडिता की मां है, के द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये बयान इस प्रकार हैं कि साक्षी को उसका बयान 161 सीआरपीसी पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने कहा मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया है। यह बयान कैसे लिख गया मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। रिपोर्ट मेरे पति द्वारा लोगों के कहने पर गलतफहमी में लिखी गई थी। अभियुक्त बबलू व हरिओम ने मेरी पुत्री की छेड़खानी का, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। यह कहना गलत है कि मैंने दरोगा जी को घटना के संबंध में सही बयान दिया हो, परंतु आज न्यायालय में अभियुक्तगण से मिल जाने के कारण झूठा बयान दे रही हूं। यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री की छेड़खानी के समय उसके शोर जाने पर मैं भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी

और घटना मैंने देखी हो। यह कहना गलत है कि मैं आज अभियुक्तगण से मिल जाने व उन्हें सजा से बचाने के लिए न्यायालय में झूठा बयान दे रही हूं। यह कहना सही है कि मैं आज जो बयान दे रही हूं अपनी मर्जी से दे रही हूं किसी के दबाव में नहीं दे रही हूं।

28. उपरोक्त तीनों अभियोजन साक्षी तथ्य के गवाह हैं और तीनों ही साक्षीगण द्वारा तहरीर में किये गये कथनों का समर्थन नहीं किया गया है तथा तीनों साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। परंतु, यहां यह उल्लेखनीय है कि पीडब्लू 1 राघवेन्द्र के द्वारा इस मामले में दी गयी तहरीर को स्वयं थाने मे दिया जाना, उस पर अपने हस्ताक्षर होना, की पुष्टि की है और उसे प्रदर्श क 1 के रूप में स्वीकार किया गया। स्वयं थाने जाना तथा मौके से पकडे अभियुक्त तथा पीडिता की चिकित्सीय जांच होना, पीडिता के बयान पुलिस व मजिस्ट्रेट के समक्ष होना भी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है। इसी प्रकार पीडब्लू–2 रोशनी के द्वारा अपने बयानों में पुलिस के समक्ष किये गये बयान अंतर्गत 161 सीआरपीसी पर किये गये बयानों की पुष्टि की है तथा अपने हस्ताक्षर की पहचान की है जिसपर प्रदर्श क 2 डाला गया। इसी साक्षी पीडिता के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी जोकि मजिस्ट्रेट के समक्ष हुये हैं, के बयानों की भी पुष्टि की है तथा अपने हस्ताक्षर व पहचान को सही होना अपने बयानों में माना है, जिसे प्रदर्श क 3 के रूप में साबित भी किया गया है। पीडिता के द्वारा अपना व अभियुक्त बबलू का चिकित्सीय परीक्षण होना स्वीकार किया है।

29. **अब प्रश्न यह उठता है कि जब प्रदर्श क 1 वादी के द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर को स्वयं वादी के द्वारा थाने में दिया जाना स्वीकार किया गया तथा पीडिता के द्वारा अपने बयान 161 सीआरपीसी तथा 164 सीआरपीसी को सही होना स्वीकारा गया है। तब ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि पीडब्लू–1, पीडब्लू–2 व पीडब्लू–3 के द्वारा तहरीर में किये गये कथानक के विपरीत न्यायालय के समक्ष बयान दिये गये हैं तथा अभियोजन के द्वारा उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया?** यहां इस मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जिसके अनुसार मामला दिनांक 19.09.2016 का है तथा इस मामले में वादी का बयान दिनांक 01.10.2024 को, पीडिता रोशनी का बयान दिनांक 24.12.2024 को, जिसमें इसके पति का नाम अरूण सिंह लिखा हुआ है जिससे स्पष्ट है कि वह घटना वाले दिन अविवाहित थी तथा पीडिता के बयान वाले दिन उसकी वैवाहिक स्थिति अब विवाहिता की है। पीडब्लू–3 पीडिता की मां का बयान दिनांक 04.02.2026 को हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि तथ्य के साक्षियों के बयान घटना के वर्ष 2016 से 8 से 10 वर्ष के बाद न्यायालय के समक्ष दर्ज हुये हैं। और जिसमें तीनों ही तथ्य के साक्षियों के द्वारा अभियोजन

कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। परंतु, वे तहरीर, धारा 161 तथा 164 सीआरपीसी के बयानों के निष्पादन को नकार नहीं पाये हैं। साथ ही साथ वादी, पीडिता, मौके से पकडे अभियुक्त बबलू की चिकित्सीय परीक्षण होने के तथ्य को भी स्वीकारा है। जिसकी औपचारिक प्रमाणिकता को स्वयं बचाव पक्ष द्वारा भी धारा 294 सीआरपीसी स्वीकार किया गया है। अतः इन तथ्यों एवं परिस्थितिययों में यह सिद्ध हो रहा है कि इतने बडे अंतराल में अभियोजन साक्षियों को विनओवर (**Win over**) कर लिया गया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Hemudan Nanbha Gadhvi Vs. State of Gujarat, AIR 2010 SC 4760 में S.C.** का उल्लेख आवश्यक है जिसमें यह कहा गया है कि साक्षियों के बयान घटना के लगभग 6 माह बाद अभिलिखित किया गया था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पास पर्याप्त अवसर एवं समय था कि वह पीडिता को दबाव, धमकी एवं असम्यक असर द्वारा **Win over** कर लें। उक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धांत इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियेां पर भी लागू हो रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट आशय निकलता है कि अभियोजन साक्षीगण को दबाव, धमकी एवं असम्यक असर द्वारा प्रभावित कर अपने पक्ष में बयान बचाव पक्ष द्वारा कराये हैं।

उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि Dispensation of justice in criminal trial is a serious matter and cannot be allowed to become a mockery by allowing prime prosecution witnesses to turn hostile as a ground for acquittal. Criminal trial is but a quest for truth. The nature of inquiry and evidence required will depend on the facts of each case. The presumption of innocence will have to be balanced with the rights of the victim and, above all, the societal interest for preservation of the rule of law. Neither the accused nor the victim can be permitted to subvert a criminal trial by stating falsehood and resorting to contrivances, so as to make it a theatre of the absurd.

State of U.P. Vs. Sanjeev Nanda, AIR 2012 SC 3104

If a witness becomes hostile to subvert the judicial process, the court shall not stand as a mute spectator and every effort should be made to bring home the truth. Criminal justice system cannot be overturned by those gullible witnesses who act under pressure, inducement and intimidation.

30.इस मामले में अब तक के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन के तथ्य के साक्षियों को प्रभावित (Win over) कर लिया गया है। परंतु, अभियोजन के साक्षियों के बयानों से निम्नलिखित तथ्य संदेह से परे साबित हैं–

1–तहरीर प्रदर्श क 1 वादी राघवेन्द्र के द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

2–पीडिता रोशनी के द्वारा पुलिस के समक्ष बयान अंतर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. प्रदर्श क 2 तथा बयान अंतर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी. प्रदर्श क 3 मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये हैं। तथा इन बयानों में जो कुछ लिखा गया है उससे पीडिता पीडब्लू 2 के द्वारा अपने बयानों में सहमति जतायी है।

3–गवाह पीडब्लू–4 शिव सिंह के द्वारा जी.डी. को प्रदर्श क 4 के रूप में साबित किया है, जिसमें घटना के दिन, स्थान व समय का उल्लेख है तथा थाने पर वादी, पीडिता तथा घटनास्थल से पकडा गया अभियुक्त बबलू की उक्त जी.डी. में प्रवृष्टि भी संदेह से परे साबित है।

31.अब देखना यह है कि क्या उपरोक्त साबित तथ्यों के अलावा पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी कौन से साक्ष्य साबित हैं तथा उनसे क्या तथ्य और भी साबित हो रहे हैं।

32.बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिक प्रमाणिकता को अंतर्गत धारा 294 सीआरपीसी स्वीकार कर साबित किया गया है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1–विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया आरोप पत्र प्रदर्श क 8

2–वादी की तहरीर पर दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क 5, जिसे पीडब्लू–4 द्वारा भी साबित किया गया है।

3–पीडिता रोशनी की दिनांकित 20.09.2016 की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क 6

4–मौके से पकडे गये अभियुक्त बबलू की चिकित्सीय परीक्षण आख्या दिनांकित 19.09.2016 प्रपत्र 9 क/3

5–घटनास्थल की मौके की नक्शा नजरी प्रदर्श क 7

6–आरोप पत्र प्रदर्श क 8

33.अंतर्गत धारा 294 सीआरपीसी में किन्हीं प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार करने का क्या प्रभाव होता है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था <u>Saddiq & others vs State of U.P., 1981 Crl J 379(All.) (full bench)</u> में प्रतिपादित सिद्धांत में यह कहा गया है कि If the prosecution or the accused does not dispute the

genuineness of a document filed by the opposite party under Section 294(1) Cr.P.C., it amounts to an admission that the entire document is true or correct. It means that the document has been signed by the person by whom it purports to be signed and its contents are correct. It does not only amount to the admission of it being signed by the person by whom it purports to be signed but also implies the admission of the correctness of its contents. Such a document may be read in evidence under Section 294(3) Cr.P.C. Neither the signature nor the correctness of its contents need be proved by the prosecution or the accused by examining its signatory, as it is admitted to be true or correct. उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपाादित सिद्धांत के अनुसार बचाव पक्ष द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार करने का यह स्पष्ट आशय है कि अभियोजन द्वारा उक्त प्रपत्रों को स्वीकार कर लिया गया है कि यह प्रपत्र प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के दायित्वाधीन निष्पादित व हस्ताक्षरित किये गये है तथा इन प्रपत्रों पर लिखी गयी इबारत भी सत्य है।

34. **Examined Smt. Roshni aged about 24 yrs**

R/o Subrimandi Waliyali, Bidhuna, P/S Bidhuna, Distt. Auraiya.

On date 20/09/16 at 4:05 PM

B/B F/CP 700 Km Rajni P/S Bidhuna

M/I – A tiny black mole on Rt. Alar Region of Nose.

Injuries–

1. abrasions 3 × ½ cm on anterior aspect of Lt forearm, 7 cm above wrist joint.

2. abrasions 5 × ½ cm on anterior aspect of Rt side of chest, 5 cm below Rt clavicle.

All above injuries are simple in nature.

C/B hard blunt object.

Duration about fresh in nature.

35. पीडिता के शरीर पर पायी गयी चोटों की प्रकृति तथा समयावधि से यह स्पष्ट है कि पीडिता के साथ किसी प्रकार की पकडा–धकडी अवश्य की गयी है। हालांकि ये चोटे साधारण प्रकृति की हैं, परंतु ताजा पायी गयी हैं।

36. Examined: Bablu S/o Shri iliyas Age: About 22 years, Male

Residence: Village Mahalla Lahamandi, Bidhuna, P.S. Bidhuna, District Auraiya.

On dated: 19/09/2016 at 11:25 A.M.

B/B- R/C No. 749, Ankush Yadav, P.S. AirwaKatra.

M.I.- A black mole mid chest.

Injuries-

1-Pain in chest (Skull).

2-Lacerated wound 3.0 cm × 0.5 cm, muscle deep, right side cheek.

3-Contusion swelling lower lip.

4-Contusion swelling 3.0 cm × 3.0 cm, right shoulder joint.

5-Abrasion 4.0 cm × 2.0 cm, right side chest.

6-Multiple abrasions right side of back.

7-Multiple abrasions left side of back.

Opinion

Injuries No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 are caused by hard and blunt object, are simple in nature. Duration about fresh.

37. इस मामले में अभियुक्त बबलू, जोकि मौके से पकडा गया है तथा मजरूबी चिट्ठी के आधार पर उसका चिकित्सीय परीक्षण घटना के दिनांक 19.09.2016 को ही किया गया है। इसकी चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार 07 चोटे शरीर के ऊपरी भाग पर पायी गयी हैं, जो अभियोजन कथानक द्वारा बताये गये तथ्य व परिस्थितियों में अभियुक्त बबलू को आना संभव है। और तो और स्वयं बचाव पक्ष द्वारा इस चिकित्सीय परीक्षण आख्या की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार भी किया।

38. अतः अब उपरोक्त साबित सभी तथ्यों से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित हो रहे हैं? तथा अभियोजन कथानक की सभी कडियां आपस मे जुड रही हैं?

1- इस मामले मे वादी द्वारा तहरीर प्रदर्श क 1 घटना के दिनांक 19.09.2016 को ही संबंधित थाने पर दिया जाना साबित है। जिसमें यह कथन किये गये हैं कि प्रार्थी राघवेन्द्र सिह उर्फ मुन्ना पुत्र राजबहादुर सिह निवासी सब्जी मण्डी वाली गली (डो०टी मैरिज गार्डन) कस्बा बिधूना कोतवाली बिधूना जनपद औरैया का रहने वाला है। मेरी पुत्री रोशनी बिधूना मे रह कर बच्चो को पढाती है। बबलू पुत्र इलियास, निवासी लोहिया नगर डी०एस० स्कूल के पास कस्बा बिधूना जनपद औरैया अकसर मेरी पुत्री के साथ छेडछाड करता है। दि० 19/09/2016 को सांयकाल के लगभग चार बजे बबलू पुत्र

इलियास, हरिओम पुत्र शंकर निवासी किशोरगंज कस्बा बिधूना मेरे घर पर चढ आये तथा मेरी पुत्री को पकड लिया तथा छेडछाड करने लगे। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे तथा मेरी पुत्री पर प्राणघातक हमला कर दिया। शोरगुल सुन कर मेरे परिवार के लोग आ गये तथा बबलू पुत्र इलियास को पकडकर थाने ले आये। दूसरा व्यक्ति मौके से भाग गया।

2– वादी पीडब्लू–1 के द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारा गया है कि तहरीर उसके बोलने पर ही लिखी गयी है।

3– वादी की तहरीर प्रदर्श क 1 के अनुसार घटना का दिनांक 19.09.2016, घटना का समय शाम को 4.00 बजे तथा घटनास्थल वादी का घर, बताया गया है तथा उसी दिन थाने पर वादी, पीडिता मौके से पकडे गये अभियुक्त बबलू की जी.डी. प्रदर्श क 4 पर उपस्थिति की प्रविष्टि साबित है। उसी दिन वादी की तहरीर के आधार पर 6.10 मिनट शाम को बिना किसी देरी के प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क 5 जिसे पीडब्लू 4 शिव सिंह द्वारा साबित किया है, दर्ज की गयी तथा स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा भी इसी औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है और यह तथ्य संदेह से परे साबित है।

4– प्रदर्श क 4 जीडी प्रविष्टि से यह साबित है कि मौके से पकडे गये अभियुक्त बबलू को थाने पर लाया गया था तथा उसकी मजरूबी चिट्ठी के आधार पर बबलू का चिकित्सीय परीक्षण 19.09.2016 को ही कराया गया, जिसपर बबलू को सात चोटे आने का वर्णन है। बबलू के शरीर पर आयी उक्त चोटों से यह साबित है कि उसके साथ हाथापायी हुयी है, जो अभियोजन कथानक को पुष्ट कर रहा है।

5– इस मामले की पीडिता का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसकी औपचारिक प्रमाणिकता को बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। इस पर प्रदर्श क 6 डाला गया। पीडिता की चिकित्सीय आख्या के अनुसार उसके हाथ पर व छाती पर ताजा चोटें पायी गयी, जो इस तथ्य को पुष्ट कर रहे हैं कि पीडिता के साथ हाथापायी व पकडा धकडी की गयी है।

6– वादी राघवेन्द्र तथा पीडिता रोशनी अभियुक्तगण बबलू तथा हरिओम को पहले से ही जानते व पहचानते थे। अतः अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में कोई संदेह नहीं है।

7– अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के दिन, समय व स्थान वादी के घर पर अभियुक्तगण के द्वारा प्रवेश कर पीडिता रोशनी के साथ लज्ञा भंग, मारपीट व सभी घरवालों के साथ उसे धमकी देने का आरोप है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी की भी औपचारिक प्रमाणिकता अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार की गयी है। जिसपर प्रदर्श क 7 पडा है। जिससे घटनास्थल की भी पुष्टि हो रही है।

8– पीडिता रोशनी के द्वारा पुलिस के समक्ष किये गये बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी प्रदर्श क 2 तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष किये गये बयान अंतर्गत

धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श क 3 भी साबित है तथा इन दोनों बयानों में लिखी गयी इबारत से पीडिता द्वारा इंकार नहीं किया गया है।

9– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आरोप पत्र की औपचारिक प्रमाणिकता को भी बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसपर प्रदर्श क 8 डाला गया है, जिससे स्पष्ट आशय निकलता है कि अभियुक्तगण द्वारा आरोप पत्र की समस्त सामग्री को नकारा नहीं गया है, बल्कि स्वीकार किया गया है।

10– इस मामले के तथ्य व परिस्थितियों में न्यायालय उपरोक्त विश्लेषण में अपना निष्कर्ष दे चुका है कि घटना दिनांक 19.09.2016 की है। पीडिता व अन्य तथ्य के साक्षियों के बयान लगभग 7–8 वर्ष बाद हुये हैं। पीडिता रोशनी की अब वैवाहिक स्थिति है। ऐसे में यह संभव है कि पीडिता की वैवाहिक स्थिति पर कोई आंच न आये इस कारण अभियोजन साक्षी पीडब्लू 1, 2 व 3 पक्षद्रोही हो गये हैं। **यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था क्रि० अपील सं० 1699/2007 परमजीत सिह पम्मा बनाम उत्तराखंड राज्य निर्णय 27 सितम्बर 2010 में S.C.** में प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख आवश्यक है, जिसमें यह अभिमत दिया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियो को सत्य के प्रति आदर नहीं था और उन्होंने अभियुक्त को बचाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यो को न्यायालय से छिपाया। अतः साक्षियो का उपरोक्त अनुचित रवैया ऐसे अभियुक्तगण को कोई सहायता नही प्रदान करेगा जिन्होंने एक जघन्य अपराध कारित किया है। अपराध न केवल परिवार या व्यक्ति के विरूद्ध होता है, बल्कि यह समाज/राज्य के विरुद्ध भी होता है। ऐसी स्थिति में परिवार द्वारा अभियुक्तगण का क्षमा किया जाना जघन्य अपराध संबंधी मामले में कोई महत्व नहीं रखता।

39. अब यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण पर उपरोक्त साबित तथ्यों से अपराध अंतर्गत धारा 452, 307, 354 ए तथा 506 भा०दं०सं० के आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो रही है?

452 भा०दं०सं० यह प्रावधान करती है–

उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह–अतिचार –जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की, अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह–अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

इस मामले में यह साबित हो चुका है कि दोनों अभियुक्तगण के द्वारा पीडिता रोशनी पर लज्जा भंग करने तथा हमला करने के आशय से घर में प्रवेश किया गया। मौके से अभियुक्त बबलू को पकडा जाना साबित है। अभियुक्त व पीडिता के शरीर पर धक्का–मुक्की, पकडा–धकडी, मार–पिटायी की चोटों से इस तथ्य की पुष्टि हो रही है। हालांकि अभियुक्त हरिओम मौके से भाग गया,

परंतु, अभियोजन साक्षियों के द्वारा उसे पहले से जानने पहचानने के तथ्य से इंकार नहीं किया है तथा अन्य बचाव पक्ष के द्वारा पुलिस प्रपत्रों की स्वीकृति से अभियुक्त हरिओम की उपस्थिति भी घटनास्थल पर साबित है। अतः दोनों अभियुक्तगण पर पीडिता रोशनी के घर में समान आशय से उसकी लज्जा भंग करने व उपहति कारित करने के आशय से गृह अतिचार किया जाना संदेह से परे साबित है। **अतः दोनों अभियुक्तगण धारा 452 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध होने योग्य हैं।**

40. **<u>धारा 307 भा०दं०सं० यह प्रावधान करती है–</u>**

हत्या करने का प्रयत्न– जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिन्पूर्व वर्णित है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दोनों अभियुक्तगण के द्वारा अनधिकृत गृह अतिचार कर पीडिता रोशनी की लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया तथा विरोध करने पर उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। परंतु, इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा पीडिता के चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क 6 के अनुसार पीडिता के बाजू व छाती पर साधारण चोट पायी गयी तथा गले पर कोई चोट नहीं पायी गयी हैं। **ऐसे में अभियुक्तगण पर धारा 307 भा०दं०सं० का अपराध साबित नहीं है।** परंतु, साधारण उपहति का आरोप संदेह से परे साबित है। **अतः धारा 222 सीआर.पी.सी. की सहायता से अभियुक्तगण को धारा 323 भा०दं०सं० के अपराध का दोषी भी पाया जाता है।**

41. **<u>धारा 354 ए यह प्रावधान करता है–</u>**

लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड (1) निम्न कार्यों–

(i) अवांछनीय एवं सुव्यक्त लैंगिक सम्बन्धों के बनाने को अन्तर्ग्रस्त करने वाला शारीरिक सम्पर्क एवं अंगक्रियायें; या

(ii) यौन स्वीकृत की माँग या अनुरोध; या

(iii) स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, या

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना

में से कोई कार्य करने वाला लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का अपराधी होगा।

(2) कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध कारित करेगा, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(3) कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध कारित करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

इस मामले में यह साबित हो चुका है कि घटना के दिन 19.09.2016 को वादी के घर में पीडिता रोशनी के साथ उसकी लज्ञा भंग करने के उद्देश्य से अभियुक्तगण हरिओम तथा बबलू के द्वारा घर में अनधिकृत रूप से गृह अतिचार किया गया। पीडिता की छाती व बाजुओं पर साधारण चोटों से यह सिद्ध है कि उसके साथ शील भंग करने के आशय से पकडा–धकडी की गयी। अभियुक्त बबलू के मौके से पकडे जाने तथा उसके शरीर से आयी चोटों से घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति साबित है। अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्त हरिओम जो मौके से भाग गया था। उसकी उपस्थिति भी घटनास्थल पर संदेह से परे साबित है। अतः दोनों अभियुक्तगण पर आरोप अंतर्गत धारा 354 ए भा०दं०स० संदेह से परे साबित है। **अतः दोनों अभियुक्तगण धारा 354 ए भा०दं०स० में भी दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।**

42.अभियुक्तगण पर धारा 506 भा०दं०सं० का भी आरोप है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के दिन, स्थान व समय पर अभियुक्तगण बबलू व हरिओम के द्वारा पीडिता रोशनी को जब पकडकर छेडछाड करने लगे और परिवार के विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा सभी को जान से मारने की धमकी दी गयी। परंतु, यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तीनों साक्षियों के बयानों में जान से मारने की धमकी देने का अपराध साबित नहीं हो रहा है। **अतः दोनों अभियुक्तगण धारा 506 भा०द०सं० में दोषमुक्त किये जाने योग्य है**

43. प्रस्तुत मामले में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी की तहरीर के आधार पर ही अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में आपराधिक कार्यवाही की शुरूआत हुयी। पुलिस के द्वारा इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परंतु, वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष तहरीर में किये गये कथनों के विपरीत बयान दिये तथा वह पक्षद्रोही हो गया। अतः स्पष्ट है कि वादी के द्वारा सत्य के प्रति आदर नहीं दर्शाया गया है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष छिपाया गया है। ऐसे में न्यायालय के मत में वादी राघवेन्द्र के विरूद्ध धारा 344 सीआरपीसी का मामला बनता है, जिसमें उसका संक्षिप्त विचारण किये जाने हेतु अपराध का संज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

(A). अभियुक्तगण **बबलू व हरिओम** को सत्र परीक्षण संख्या–137/2024, मुकदमा अपराध संख्या–488/2016, थाना–बिधूना, जनपद–औरैया के मामले में धारा **452, 354ए, 323** भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत **दोषसिद्ध** किया जाता है।

(B).अभियुक्तगण **बबलू व हरिओम** को सत्र परीक्षण संख्या–137/2024, मुकदमा अपराध संख्या–488/2016, थाना–बिधूना, जनपद–औरैया के मामले में धारा **307, 506** भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत **दोषमुक्त** किया जाता है।

(C). अभियुक्तगण **बबलू व हरिओम** जमानत पर हैं तथा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक 07.08.2026

(कैलाश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, औरैया।
J.O. Code– UP 1684

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 07.08.2026

(कैलाश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, औरैया।
J.O. Code– UP 1684

लंच बाद
दिनांक 07.08.2026

पत्रावली अभियुक्तगण **बबलू व हरिओम** को दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु लंच बाद पेश हुयी। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हैं। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा चुका है। अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित शर्मा उपस्थित है। राज्य सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित हैं।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामलें में अभियुक्तगण द्वारा पीडिता रोशनी के साथ उसकी लज्ञा भंग करने के उद्देश्य से उसके घर में अनधिकृत रूप से गृह अतिचार किया गया एवं उनके द्वारा दौरान विचारण गवाहों को प्रभाव में लेने का प्रयास किया गया है तथा उस पर उपहति कारित की। तब भी साक्ष्य इस प्रकार का हैं कि दोषसिद्धि साबित हुयी है। अतः अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा दी जाये ताकि समाज में एक कडा संदेश महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के विरूद्ध जाये।

जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त **बबलू** उम्र करीब 30 वर्ष है। वह अविवाहित है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं। उस पर माता पिता की जिम्मेदारी है। तथा अभियुक्त **हरिओम** की उम्र 32 वर्ष है। वह विवाहित है। उसके दो बच्चे हैं। अभियुक्त के बच्चे व माता पिता उस पर ही निर्भर हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः कम से कम सजा दी जाये।

दोनों अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** को इस मामलें में धारा 452, 354 ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

धारा 452 भा०दं०सं० (उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह–अतिचार) में सात वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दण्डित करने का प्रावधान है।

धारा 354 ए भा०दं०सं० (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड) (2) **उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में** तीन वर्ष तक कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।

धारा 323 भा०दं०सं० (स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड) मे अधिकतम एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।

प्रस्तुत मामलें में मुल्जिमान एवं उनके वैवाहिक स्थिति, परिवारीजन के आश्रित होने तथा इस मामले के तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में अभियुक्तगण बबलू एवं हरिओम को निम्न दण्डादेश से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

दण्डादेश

1– अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** को परीक्षण संख्या–137/2024, मुकदमा अपराध संख्या–488/2016, थाना–बिधूना, जनपद–औरैया के अभियोग में **धारा 452 भा०दं०सं०** में **प्रत्येक** को तीन–तीन वर्ष का कारावास एवं रूपये 10,000/– 10,000/– (दस–दस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त उक्त अपराध में एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

2– अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** को **धारा 354 ए भा०दं०सं०** में **प्रत्येक** को तीन–तीन वर्ष का कारावास एवं रूपये 10,000/– 10,000/– (दस–दस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त उक्त अपराध में एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

3– अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** को **धारा 323 भा०दं०सं०** में **प्रत्येक** को एक–एक वर्ष का कारावास एवं रूपये 2,000/– 2,000/– (दो–दो हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त उक्त अपराध में पन्द्रह –पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

इस मामले में अभियुक्तगण के द्वारा जिला कारागार में बितायी गयी अवधि उक्त दण्डादेश में समायोजित की जाये। उपरोक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्तगण का सजायवी वारण्ट बनाकर जिला कारागार भेजा जाये।

इस निर्णय की एक प्रति प्रत्येक अभियुक्तगण को निशुल्क प्रदान की जाये।

सभी अभियुक्तगण को इस निर्णय के विरूद्ध उनके अपील के अधिकार से अवगत कराया गया।

परिवादी राघवेन्द्र सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 344 सीआर०पी०सी० का प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाये तथा उसे विचारण में स्पष्टीकरण हेतु नियमानुसार नोटिस जारी हो।

दिनांक 07.08.2026

(कैलाश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, औरैया।
J.O. Code– UP1684

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 07.08.2026

(कैलाश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02, औरैया।
J.O. Code– UP1684